बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

।। आदेश ।।

दिनांक 24.11.2024 को सारण जिलान्तर्गत बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की जाँच निदेशक, खान एवं जिला प्रशासन, सारण द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उक्त जाँच में अवैध बालू से लदे वाहनों के साथ कई अन्य वाहन भी जप्त किये गये। जाँच में अवैध खनन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 15 लाख सी0एफ0टी0 बालू जप्त किया गया एवं जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की वसूली की गई। इतने बड़े स्तर पर बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण सम्प्रति निलंबित द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया गया। उनका यह कृत्य अवैध भंडारणकर्ता/परिवहनकर्ताओं से मिली भगत परिलक्षित होता है एवं उनके द्वारा सरकारी राजस्व के साथ–साथ पर्यावरण की क्षति पहुँचाई गई है।

2. श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण द्वारा बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरती गयी है, जबकि इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं VC के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु सार्थक कार्रवाई के लिए निदेशित किया जाता रहा है। श्री अंजनी कुमार का यह कृत्य सरकारी सेवक के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही हेतु श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण को इस कृत्य हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) के तहत विभागीय आदेश ज्ञापांक 4998 दिनांक 26.11.2024 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया तथा इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 122 दिनांक 08.01.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री अंजनी कुमार द्वारा दिनांक 24.06.2025 को स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। जाँच के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध बालू से लदे वाहनों के जब्त होने, अवैध खनन से जुड़े लोगों के गिरफ्तार होने तथा जुर्माने के रूप में बड़ी राशि की वसूली के दृष्टिगत श्री कुमार का स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकृत योग्य नहीं पाया गया। श्री कुमार प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत होते हैं। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी

अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण, तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री अंजनी कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अंजनी कुमार हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–11/2024–................................/एम0, पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपिः–**अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण,**–सह–संचालन पदाधिकारी/**खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण**–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, सारण सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I-रा0(आ0)–11/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सारण/मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I-रा0(आ0)–11/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I-रा0(आ0)–11/2024–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, अंचल कार्यालय, सारण/मुजफ्फरपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I-रा0(आ0)–11/2024–4950/एम0, पटना, दिनांक 03/09/25

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

03/9/25

सरकार के अपर सचिव

Sanj/bech/karyalaya adesh